

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

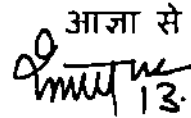
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 538 /2020 दिनांक : 14.02.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: स्था. (रा.न्या.से.)अवकाश/ 2652/ 2019 दिनांक 20.12.2019 के क्रमांक (2) की निरन्तरता में श्री अनिल कुमार गुप्ता, (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर को दिनांक 07.02.2020 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम-01, जयपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
 13.2.2020

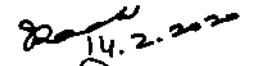
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/11/1998/ 1134

दिनांक : 14.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर को उनके पत्रांक 222 दिनांक 08.02.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर ।
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम-01, जयपुर महानगर ।

 14.2.2020
सहायक रजिस्ट्रार